



इरकाँन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
(इरकाँन एसजीटीएल)



चौथी वार्षिक रिपोर्ट
(2018-19)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सी एस भटनागर एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एंड्रोस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
लखनऊ

लागत लेखाकार

मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी
लागत लेखाकार
नई दिल्ली

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक,
आर.के.पुरम,
नई दिल्ली

कंपनी के ईपीसी ठेकेदार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

साकेत, नई दिल्ली - 110017

ई-मेल: cs.irconsgtl@gmail.com

दूरभाष:91-11-29565666

सीआईएन :U45400DL2015GOI280017



विजन एवं मिशन

विजन

मध्यप्रदेश राज्य में किमी 236.000 से किमी 332.100 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और संचालन तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा व आराम को सुनिश्चित करना।

मिशन

- (i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।
- (ii) परियोजना के कुशल नियोजन और सतर्क मॉनीटरिंग का कड़ाई से अनुपालन करके निर्माण और अनुरक्षण की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए सृजनात्मक निर्माण तकनीकों का प्रयोग।
- (iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।
- (iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

विषय वस्तु

विवरण	पृष्ठ
अध्यक्ष का संबोधन	9
निदेशक की रिपोर्ट	12
प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	26
फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार	30
फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	41
निगमित शासन रिपोर्ट	44
निगमित शासन पर प्रमाणपत्र	57
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	59
सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट	65
वित्तीय विवरण 2018-19	79
तुलन पत्र	80
लाभ व हानि विवरण	81
रोकड़ प्रवाह विवरण	82
इक्विटी परिवर्तन विवरण	83
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - नोट सं. 1-2	85
प्रकटन सहित लेखों के नोट - नोट सं 3 से 38	105
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	144

निदेशक मंडल
(अंशकालीन निदेशक निदेशक)



दीपक सबलोक
अध्यक्ष



श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक



श्री आनन्द कुमार सिंह
निदेशक



श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक



सुश्री अनुपम बेन
निदेशक

मुख्य कार्यपालक



मसूद अहमद नजर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी



श्री संजीव कुमार गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी



सुश्री साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

परियोजना फोटोग्राफ
(राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवपुरी गुना टोलवे, मध्य प्रदेश)





अध्यक्ष का संबोधन

आपकी कंपनी की चौथी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और सम्मान का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

मैं इरकॉन आईएसजीटीएल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को प्रकट करना चाहता हूं।

इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे (इरकॉन एसजीटीएल) का मई, 2015 को निगमन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर किमी 236.00 से किमी 332.100 (97.74 किमी) तक शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का बनाने के लिए किया गया है।

परियोजना के चरण-1 की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी), जो जुलाई 2018 निर्धारित की गई थी को 06 जून 2018 को ही अर्थात् 1 माह और 5 दिन पूर्व प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार, टोल प्लाजा का प्रचालन और राजस्व का एकत्रण दिनांक 7 जून 2018 को हो गया है। एनएचएआई ने अनुसूचित समय से पूर्व परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कंपनी को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया है।

वर्तमान माह का टोल एकत्रण 7 करोड रूपए से 7.5 करोड रूपए के बीच में हुआ है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड रूपए है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इरकॉन आईएसजीटीएल ने परियोजना निर्माण लागतों को पूरा करने के लिए 722.11 करोड रूपए के अनुमोदित ऋण में से 561.59 करोड रूपए का ऋण प्राप्त कर लिया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने दिनांक 2 मई 2019 के अपने इंड एस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, अपने लाभ और हानि विवरण में सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व सहित इंड एस 115 "ग्राहकों से संविदा से राजस्व" की दृष्टि से 149.75 करोड रूपए के प्रचालनिक टर्नओवर से राजस्व को स्वीकार किया है।

चूंकि परियोजना ने जून 2018 में अपना टोल प्रचालन आरंभ कर दिया है, दिनांक 31 मार्च 2019 को तक टोल प्रचालन से सृजित राजस्व 72.88 करोड रूपए है।

कंपनी का दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए करपूर्व निवल घाटा 30.51 करोड है और कर पश्चात निवल घाटा 30.51 करोड रूपए है जो दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किए गए कार्य संविदा व्ययों के कारण बुक परियोजना और अन्य व्ययों के कारण हैं।

अनुपालन एवं प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके संबंधित नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी को लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धारक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने से छूट प्रदान की गई है।

आभारोक्ति

में निदेशक मंडल की ओर से, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को मूल्यवान सहयोग और मदद के लिए

हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी भावना हमारी कंपनी को आगे ले जाने की कुंजी है।

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

निदेशक की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष : 2018-19

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में

कंपनी के सदस्य

आपके निदेशकों को 2018-19 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

क. व्यवसायिक अवलोकन: गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) को 872.11 करोड़ रूपए की कुल परियाजना लागत पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, हालांकि, इस परियोजना को दो चरणों में निष्पादित किया जा रहा है अर्थात् चरण-I और चरण-II. चरण-I की कुल लागत 759.98 करोड़ रूपए है, जबकि चरण-II की कुल लागत 112.13 करोड़ रूपए है और यह जनवरी 2021 तक आरंभ हो जाएगा।

कंपनी नियुक्ति तिथि तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित निर्धारित समयसीमा के अनुसार 910 दिनों के भीतर 25 जनवरी 2016 ('संचालन की वाणिज्यिक तिथि' - डीओडी) और टोलवे को चालू करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति कर रही है।

चरण-I के लिए परियोजना अनुसूचित समापन यथा दिनांक 23 जुलाई 2018 से 1 माह 15 दिन पूर्व पूरी हो गई है और दिनांक 07 जून 2018 से टोल प्रचालन आरंभ हो गया है। दिनरांक 31 मार्च 2019 तक एकत्र राजस्व 72.88 करोड़ रूपए है।

उक्त वित्तीय प्रगति को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत निम्नानुसार हैं: -

- इक्विटी शेयर पूंजी: 150 करोड़ रूपए (संपूर्ण इक्विटी को प्राप्त व खर्च किया गया है)
- दिनांक 31 मार्च 2019 को रक्षित ऋण (उधार): 561.59 करोड़ रूपए (722.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि के प्रति)

ख. कंपनी का वित्तीय निष्पादन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक (इंडिएएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

इंड एएस के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध है:

दिनांक 31 मार्च 2019 को वित्तीय निष्पादन संकेतक:

(रुपये में करोड में)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
	(लेखा परीक्षित)	(लेखा परीक्षित)
1. इक्विटी शेयर पूंजी	150	150
2. अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि व अतिरेक सहित)	(31.36)	(0.73)
3. धारक कंपनी से ऋण (उधार)	561.59	525.82
4. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	-	682.53

5. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	692.41	-
6. कुल परिसंपत्ति और देयताएं	705.34	702.23
7. प्रचालन से राजस्व	149.75	381.93
8. अन्य आय	0.43	0.02
9. कुल आय (7) + (8)	150.18	381.95
10. प्रचालन लागत	180.63	381.92
11. अन्य व्यय	0.06	0.01
12. कुल व्यय (10) + (11)	180.69	381.93
13. कर पूर्व लाभ/(हानि) (9) - (10)	(30.51)	0.02
14. कर पश्चात लाभ/(हानि)	(30.61)	(0.06)
15. अन्य वृहत आय	-	-
16. कुल वृहत आय (लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय सहित (15) + (16)	(30.61)	(0.06)

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ग. परियोजना से रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में कुल कमी **9.52 करोड़ रूपए** है।

घ प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट को अनुबंध-क के रूप में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

ड. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैं:-

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

च. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

(i) बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां, नियम, 2014 तथा डीपीई (निगमित शासन) दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की 07 बैठकें हुईं।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	बोर्ड बैठक की तिथि	पिछली बैठक के संबंध में समय अंतराल यथा (दिनों की संख्या)	उपस्थित निदेशकों की संख्या	अनुपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11 मई 2018	79	5	शून्य
2.	18 जुलाई 2018	67	5	शून्य

3.	25 सितंबर 2018	68	5	शून्य
4.	20 नवंबर 2018	55	5	शून्य
5.	4 जनवरी 2019	44	4	1
6.	30 जनवरी 2019	25	5	शून्य
7.	18 फरवरी 2019	18	4	1

(iii) निदेशक मंडल

आज की तिथि को निम्नलिखित निदेशक पदधारित हैं:

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति की तिथि	डिन
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	12 मई 2015	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	12 मई 2015	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक	21 जुलाई 2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक	06 मार्च 2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक	09 जून 2017	07797026

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री मसूद अहमद नाजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में दिनांक 21 जुलाई 2016 को घोषित किया गया था।

दिनांक 20 फरवरी, 2018 को श्री संजीव कुमार गुप्ता को धारक कंपनी द्वारा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित किया गया था, जो मुख्य वित्त अधिकारी, श्री अतुल कुमार के पदमुक्त होने के कारण दिनांक 21 दिसंबर 2018 से इरकॉन एसजीटीएल के सीएफओ के कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

सुश्री शाक्षी, कंपनी सचिव दिनांक 29 मई 2017 से कंपनी सचिव नियुक्त हुई हैं।

छ. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण** थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

(ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे “निरंतर” आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

ज. अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर विवरण।

लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

ट. अंतर-निगमित ऋण तथा निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतर-निगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

ठ. वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

ड. अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार- फार्म संख्या एओसी-2 में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं

फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन अनुबंध-ग के रूप में संलग्न है।

ढ. लाभांश तथा आरक्षित निधियां

निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एस के अनुप्रयोग के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में अन्य इक्विटी शेष के अंतर्गत प्रतिधारित आमदनियों के रूप में परिलक्षित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2019 को अपनी कंपनी का रूपए (31.36) लाख रूपए का ऋणात्मक शेष है।

ण. जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

प. ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा उपप्रवह

राजमार्ग के निर्माण के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी मुद्रा आगम और निर्गम नहीं हुआ है।

फ. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां

(लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हर एक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बहि में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और लेखापरीक्षकों द्वारा उठाई गई शून्य आपत्तियों सहित इसे पूर्णतः व्यवस्थित पाया है।

ब. आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित ब्यौरा

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएफसी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुसार *(सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू)* लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लेख करने का प्रावधान है।

कंपनी द्वारा अभिकल्पित और क्रियान्वित किए गए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी के आकार और जटिलता के अनुसार उपयुक्त पर्याप्त हैं। आपकी कंपनी का मत है कि ये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एक उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी के लेनदेन को प्रबंधन प्राधिकरण के साथ निष्पादित किया जाता है और इन्हें सभी भौतिक मामलों में रिकॉर्ड किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की संपत्तियों को दुरुपयोग या हानि के प्रतिपर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

भ. जोखिम प्रबंधन

बोर्ड कंपनी को व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम की संभावना नहीं है।

भ. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के प्रावधान के अनुसरण में, वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

प. निगमित संचलन पर रिपोर्ट

निगमित संचलन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुबंध-घ के रूप में संलग्न किया गया है।

फ. लेखापरीक्षक

क) सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मैसर्स सीएस भटनागर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एंड्रोस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है।

घ) लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागू नियमों/दिशानिर्देश नोट के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखापरीक्षा रिकार्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त किया था।

ह. सीएसआर समिति

आज की तिथि को कंपनी के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन अपेक्षित नहीं है क्योंकि कंपनी 500 करोड़ रुपए या अधिक की निवल परिसंपत्ति, 1000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ के क्षेत्र में नहीं आती है। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 135)

ब. सहायक कंपनियों, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

भ. वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट की तिथि तक सामग्रीगत परिवर्तन या प्रभावित प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने धारक कंपनी (इरकॉन) से पहले से लिए गए ऋण की प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 30 जून 2019 को 11.24 करोड़ रुपए का पुनर्भगतान किया है और जुलाई 2019 को पुनः धारक कंपनी (इरकॉन) से ऋण प्राप्त किया है।

ल. समझौता ज्ञापन

डीपीई ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए छूट प्रदान की है।

व. एमएसई अनुपालन

इरकॉन एसजीटीएल का यह प्रयास रहा है कि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का सहयोग प्रदान किया जाए है। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों सहित कई कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 0.46 लाख रूपए की है जबकि कंपनी का कुल वार्षिक खरीद लक्ष्य 50 लाख रूपए का है।

क्ष. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के अनुपालन में (निवारण, प्रतिषेध एवं उपाय)

अधिनियम: -

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी की शून्य सहिष्णुता है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति पर विचार किया जा रहा है। ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसमें यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत कार्यस्थल पर दर्ज की गई हो। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन विचाराधीन है।

व. आभारोक्ति

आपके निदेशक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक सहयोगियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को मूल्यवान

समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। वे सभी श्रेणी के कार्मिकों की भी उनके निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 29.07.2019

स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढ़ा है, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचडीपी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी गूना खंड (एनएच-3) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (यथा धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

➤ शक्तियां

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर सड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

➤ कमजोरियां

- (i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसान है।
- (ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर उतप्रवह प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।
- (iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

➤ अवसर

- (i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदता बढी है।
- (ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

➤ जोखिम

कोई प्रमुख जोखिम का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि चरण-I के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति पूरी हो गई है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) को 1 माह 15 दिन पूर्व यथा दिनांक 6 जून 2018 को प्राप्त कर लिया गया है। इसप्रकार, परियोजना में टोल एकत्रण एवं प्रचालन तथा सड़क अनुरक्षण एजेंसी को तैनात किया गया है। तथापि, नए मार्गों के विकास के साथ यातयात के मार्ग परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना “राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)” के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चालू प्रचालनिक और गैर प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका I: वर्तमान वित्तीय स्थिति

विवरण		1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु
I.	राजस्व :	
	प्रचालनों से राजस्व	149.75
	अन्य आय	0.43
	कुल राजस्व	150.18

II.	व्यय:	
	परियोजना व्यय	101.59
	कर्मचारी लाभ व्यय	1.15
	वित्तीय लागतें	43.49
	मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि	34.40
	अन्य व्यय	0.06
	कुल व्यय	180.69
IV.	कर पूर्व लाभ	(30.51)

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में सामग्रीगत विकास

कंपनी के कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों की व्यवस्था करने के लिए कंपनी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी सचिव की नियुक्ति की है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 29.07.2019

स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं.एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	यू45400डीएल2015जीओआई280017
2.	पंजीकरण तिथि	12 मई, 2015
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई 008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2018 को (निगमन की तिथि)]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निकाय#	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) 1 लाख रूपर से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	150000000	150000000	100%	शून्य	150000000	150000000	100%	-

निगमित निकाय: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 9 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटर्स की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2018 को (निगमन की तिथि)]			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च, 2019 को]			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-
	कुल	150000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	-

प्रमोटर्स की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 150,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात् सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटर्स के पास है।

अन्य 09 शेयरधारकों के पास इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर से 100 शेयरधारित है।

ग) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता [31 मार्च, 2018 को (निगमन की तिथि)]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता [31 मार्च, 2019 को]	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	150000000	100%	150000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए				

	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में	150000000	100%	150000000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता (निगमन) की तिथि]]		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2018 को आरंभ में शेयरधारिता*		31 मार्च 2019 को वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

§ "इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के लिए और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री दीपक सबलोक, श्री अशोक कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और सुश्री अनुपम बेन के पास प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर हैं। "

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
	525,82,00,00			525,82,00,00
i) मूल राशि	0			0
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)		525,82,00,000		
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	35,77,00,000			35,77,00,000
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन		35,77,00,000		
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	561,59,00,00	-	-	561,59,00,00

	0			0
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)		561,59,00,000		

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	लागू नहीं	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में					
5.	- भन्त्य बनाएं अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) \$					
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

* आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पांच पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम				कुल राशि
		-----	----	----	---	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)	लागू नहीं				
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2) \$	लागू नहीं				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	लागू नहीं				

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	सीएफओ**	सीएस	कुल
		श्री मसूद अहमद नजर	श्री अतुल कुमार (अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018)	सुश्री साक्षी मेहता	
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	24,60,847	9,44,186	4,70,484	38,75,517

	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं				
	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	8,71,276	2,64,228	-	11,35,504
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	7,07,823	2,74,286	21,600	10,03,709
	कुल	40,39,946	14,82,700	4,92,084	60,14,730

**श्री अतुल कुमार, कंपनी के तत्कालीन सीएफओ,ने दिसंबर 2018 तक पारिश्रमिक प्राप्त किया है क्योंकि वे 21 दिसंबर 2018 से इरकॉन एसजीटीएल से पदमुक्त हो गए हैं। तथापि, संजीव कुमार गुप्ता को धारक कंपनी द्वारा सीएफओ प्रतिनियुक्त किया गया है और दिनांक 4 जनवरी 2019 को केएमपी घोषित किया गया है, तथा उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए पारिश्रमिक का आहरण नहीं किया है।

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति का	प्राधिकार [आरडी	की गई अपील, यदि कोई है
--------	---------------	-----------------	------------------------------------	-----------------	------------------------

	का अनुच्छेद		ब्यौरा	/एनसीएलटी /न्यायालय]	(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना			शून्य*		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना			शून्य*		
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य*		
दंड					
कंपाउंडिंग					

* कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 29.07.2019

स्थान : नई दिल्ली

फार्म सं. एओरसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. आर्म लैथ आधार पर न की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: शून्य
2. आर्म लैथ आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का ब्यौरा: निम्नानुसार

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	इरकॉन इंटरनेशन लिमिटेड (इरकॉन), धारक कंपनी	क) ईपीसी करार दिनांक 30.11.2015	ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि से 30 महीने या इरकॉनएसजीटी एल द्वारा भूमि सौंपने से है।	परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 642 करोड़ रुपये के मूल्य की संविदा को निष्पादित किया गया है।	लागू नहीं	शून्य

		ख) ईपीसी करार के दो परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार का हिस्सा होगा)	क) परिशिष्ट-1 दिनांक 29.03.2016 को ख) परिशिष्ट-2 22.07.2016 को निष्पादित।	ईपीसी समझौते में परिशिष्ट सं.1, 2 को 642 करोड़ रु के मूल्य की परियोजना की मूल कुल लागत को यथावत रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची को शामिल करने के लिए निष्पादित किया गया है। ।		
		ग) पट्टा करार (कार्यालय परिसरों के प्रयोग हेतु किराया)	तिथि: पट्टा करार दिनांक 27.06.2018 अवधि: दिनांक 01.07.2018 से 3 वर्ष	किराया: लीज किराया 65 वर्ग फुट कर दर से 297 रूपए प्रति वर्ग फुट प्रभार्य मासिक आधार पर 9,305 रूपए कॉर्पोरेट कार्यालय के अंदर पट्टे के परिसर के लिए शुल्क और नवीकरण पर 10% की		

					वृद्धि पर विचार करना।		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 29.07.2019

स्थान : नई दिल्ली

निगमित शासन पर रिपोर्ट

एक सरकारी निकाय होने के कारण कंपनी पारदर्शी रूप में कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा संव्यवहारों के संचालन के लिए स्वीकार किए गए “निगमित शासन उपायों” का अनुपालन करती है। कंपनी समय परीक्षित निगमित कार्यप्रणाली तंत्रों का कड़ाई से अनुपालन करती है और तदर्थ नियोजन या नीति निर्धारण का अनुसरण नहीं करती। कंपनी के अधिकारियों पर उचित जवाबदेही निर्धारित की जाती है जिससे व्यवस्थित, नैतिकपूर्ण और व्यावसायिक व्यापार पद्धतियों के अनुसरण को सुनिश्चित किया जाता है।

1. **कंपनी का दर्शन :** निगमित कार्यप्रणाली को सांविधिक अनुपालनों और शासन संरचना अनुरूप तैयार किया गया है जिसे स्टैकधारकों के हितों के संरक्षण सहित लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए संरेखित किया गया है।

2. **निदेशक मंडल**

2.1 **बोर्ड की संरचना:-**

कंपनी में गैर-कार्यपाल बोर्ड है, जिसके सदस्य हैं, श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक, श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक, और श्री राजेंद्र सिंह यादव, निदेशक और सुश्री अनुपम बेन, निदेशक। धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने संगठनात्मक कार्यों के लिए उत्पादकता और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के तहत नियमित रूप से बोर्ड बैठक में भाग लिया है।

2.2 **इस रिपोर्ट की तिथि को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

**बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता
(इस रिपोर्ट की तिथि को)**

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	9 (इरकॉन आईएसटीपीएल इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन डीएचएचएल, सीईआरएल, एमसीआरएल, एमसीआरएल इरकॉन वीकेईएल और बीआरपीएल	1	5
अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	5 (ईएसटीपीएल, इरकॉन आईएसएल इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल)	4	4
आनंद कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल और इरकॉन वीकेईएल)	3	3
राजेंद्र सिंह यादव	अंशकालीन निदेशक	3 (इरकॉन पीबीटीएल,	शून्य	5

[डिन 07752915]		इरकॉन डीएचएचएल) और इरकॉन वीकेईएल)		
अनुपम बेन [डिन 07797026]	अंशकालीन निदेशक	3 इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल) इरकॉन डीएचएचएल))	1	शून्य

**निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए
(वर्ष 2018-19 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)**

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	कंपनियों / निकाय निगमों में समिति की सदस्यता (इरकॉन एसजीटीएल को छोड़कर)	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
शून्य				

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

5. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।
6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।
7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:
 - क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
 - ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
 - ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
 - घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
 - ङ.) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगेरे हवेली राजमार्ग लिमिटेड
 - च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
 - छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
 - ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
 - झ) इरकॉनवीकेईएल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 - ट) बीआरपीएल - बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

3. वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की बैठकें 07 बार आयोजित हुईं: दिनांक 11 मई 2018, 18 जुलाई 2018, 25 सितंबर 2018, 20 नवंबर 2018, 04 जनवरी 2019, 30 जनवरी 2019 तथा 18 फरवरी 2019.

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

(ग) वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक	2018-19 में बोर्ड बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक बैठक आम बैठक में उपस्थिति
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित	
श्री दीपक सबलोक	7	7	हां
श्री अशोक कुमार गोयल	7	7	हां
श्री आनन्द कुमार सिंह	7	7	हां
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	7	5	हां
श्री दीपक सबलोक	7	7	हां

श्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित सभी 07 बैठकों में भाग लिया।

4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

4.1 लेखपरीक्षा समिति

4.1.1 संदर्भ शर्तें:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3 कराड रूपए से बढ़कर 33 करोड रूपए (18 मार्च 2016 से) हो गई है, जो इस्कॉन द्वारा 100 प्रतिशत धारित है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया और दिनांक 17 अक्टूबर

2016 को इनकी बैठकों आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें जैसा की बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं:-

- (i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें;
- (ii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- (iii) वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परीक्षा;
- (iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन के अनुमोदन या तत्पश्चात कोई संशोधन;
- (v) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;
- (vi) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के कार्यों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- (vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- (viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, जिसमें कंपनी के तीन अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, जिसे मूल रूप से निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को गठित किया गया था, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

समिति की वर्तमान संरचना है:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| श्री आनंद कुमार सिंह | - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक |
| श्री अशोक कुमार गोयल | - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक |
| श्री राजेंद्र सिंह यादव | - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक |

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं यथा 18 जून 2018, 17 जुलाई 2018, 26 अक्टूबर, 2018, 19 नवंबर 2018, 30 जनवरी 2019 और 18 फरवरी 2019. उक्त बैठकों में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	2018-19 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित
श्री आनन्द कुमार सिंह	6	6
श्री अशोक कुमार गोयल	6	6
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	6	5

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अनुसार, सभी सार्वजनिक कंपनियों में जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रूपए या अधिक है या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रूपए या अधिक है या कुल ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2010 को डीपीई कार्यालय जापन के तहत जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए पारिश्रमिक समिति के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति का गठन होगा, जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से

सभी अंशकालिक निदेशक होने चाहिए (अर्थात नामिती या स्वतंत्र निदेशक), और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 और डीपीई सीजी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 17 अक्टूबर 2016 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

समिति का पुनर्गठन दिनांक 14 मार्च 2017 को किया गया था। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री अशोक कुमार गोयल - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री आनंद कुमार सिंह - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं।

संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनसीआर) :-

- उन व्यक्तियों की पहचान करें जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है,
- बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करनी चाहिए,
- प्रत्येक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तैयार करना, और
- निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की दिनांक 11 मई 2018 और 04 जनवरी 2019 को दो बैठकें हुई थीं। उक्त बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक	2017-18 में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या	
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थित
श्री आनन्द कुमार सिंह	2	2
श्री अशोक कुमार गोयल	2	2
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	2	1

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनसीआर समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

5. साधारण बैठकें

पिछले दो वित्तीय वर्ष यथा 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान आयोजित आम बैठक का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका-2: साधारण बैठकें

क्र.सं.	शेयरधारक बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख	समय	स्थान	संव्यवहार हेतु	
					साधारण कार्य	विशेष कार्य
1	पहली असाधारण आम बैठक (ईजीएम)	16 जून, 2015	1300 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और

						मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	27 सितंबर 2016	1200 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	3	लागू नहीं
3	दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	25 सितंबर 2017	1100 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	लागू नहीं
4	तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)	25 सितंबर 2018	1230 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली	2	लागू नहीं

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्ट्रों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोर्टों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया

गया था (इस रिपोर्ट में अनुबंध-घ-1 के रूप में प्रस्तुत)।

8. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सेचव, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और अनुबंध-घ-2 के रूप में संलग्न है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-

दीपक सबलोक

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक : 29.07.2019

स्थान : नई दिल्ली

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

- (i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- (iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।
- (iv) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
- (v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-

श्री मसूद अहमद नजर
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/-

श्री संजीव कुमार गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

दिनांक: 02.05.2019

स्थान: नई दिल्ली

लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल (i) डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशक के बिना इसके बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन हेतु स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी को इससे छूट दी गई है और यह भी ज्ञात है कि निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी अर्थात् इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी के संघ के लेखों के अनुसरण में) द्वारा की जा रही है (ii) इसके अतिरिक्त कंपनी ने डीपीई कॉर्पोरेट शासन के दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि कंपनी ने डीपीई का अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

**कृते अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

ह/-

(अरुण कुमार गुप्ता)

एफसीएस- 5551

सीपी सं - 5086

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 29.07.2019

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;
(कंपनी पर लागू नहीं है)
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;
(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ङ.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**

- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

- क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;
- ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;
- ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;
- घ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-I और सचिवीय मानक-II के अनुपालन की भी जांच की है, जो समीक्षणीन अवधि के लिए कंपनी पर लागू थे।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ विधिवत रूप से किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों काफी पहले भेजे गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है। बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा कहा गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने देय समयावधि की समाप्ति के पश्चात लागत लेखापरीक्षा की नियुक्ति की है।

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उस पर हमारे उत्तरों के अनुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स

ह/-

सौरभ जैन

प्रोप्राइटर

स.सं: ए45034

सीपी सं: 16489

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2019

सचिवीय लेखापरीक्षा का अनुबंध

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स

ह/-

सौरभ जैन

प्रोप्राइटर

स.सं: ए45034

सीपी सं: 16489

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2019

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष : 2018-19)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017.

नई दिल्ली।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (“कंपनी”) के 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के एक सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2019 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम

विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोड़ंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोड़ंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोड़ंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण हैं और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रक्रियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोडंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोडंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती हैं।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
- ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।
- iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेली प्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी नहीं, कंपनी में ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर किसी प्रतिबंध का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान

के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।
--	---

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 01292एन

ह/-
(जी एस भटनागर)
साझेदार
सदस्यता सं. 081536

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.05.2019

"31 मार्च 2019 को समाप्त अवधिके लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क"

- i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।
(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।
(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- ii. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
- iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसलिए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2015 के पैरा 3 (iii) (क) व (ख) के अंतर्गत अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- iv. हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत किसी ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति में संव्यवहार नहीं किया है। इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई राशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधान तथा कोई अन्य संगत प्रावधान और अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।
- vi. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार मुख्यालय में लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किया है।

vii. क) कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियाँ और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2019 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर, सीमाशुल्क, रायल्टी, संपत्ति कर, भविष्य निधि, उत्पाद शुल्क तथा उपकर के संबंध में दय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है जिसे 31.03.2019 को विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

नियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि	यह राशि किस अवधि से संबंधित है	फॉर्म जहां विवाद लंबित है
शून्य				

viii. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक सरकार से ऋण या कर्ज या डिबेंचरधारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तदनुसार आदेशका खंड-3 (viii) लागू नहीं है।

ix, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धारक कंपनी से रक्षित ऋण प्राप्त किया है और इसका पुनर्भुगतान अभी देय नहीं है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

- xi. दिनांक 05 जून 2015 के सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियोंको कंपनी अधिनियम 2013 के खंड-197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।
- xii. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 (xii) के अंतर्गत आने वाली अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं है।
- xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कहीं लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।
- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।
- xvi. कंपनी एक गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001292एन

ह/-

(सीए जी एस भटनागर)

साझेदार

सदस्यता सं. 081536

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 02.05.2019

इदिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समसंख्यक वित्तीय विवरण के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का “अनुबंध ख”

कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) के खंड-143 के उपखंड-3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **मैसर्स इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (“दिशानिर्देश नोट”) के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अशिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, शर्तीय अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तीय में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2019 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते मैसर्स सी एस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. : 001292एन

ह/-

(जी एस भटनागर)

साझेदार

सदस्यता सं. 081536

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 02.05.2019

वित्तीय विवरण
(वित्तीय वर्ष 2018-2019)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
I. परिसंपत्तियां			
1 गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.07	0.01
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	4	692.41	-
(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-	682.53
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य	4.1	0.11	0.01
(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	0.07	0.17
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		692.66	682.72
2 चालू परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
(i) व्यापार प्राप्य	6.1	0.70	17.70
(ii) रोकड एवं रोकड समतुल्य	6.2	9.61	0.08
(iii) ऋण	6.3	-	-
(iv) अन्य	6.4	0.03	-
(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	7.1	1.91	1.22
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	0.43	0.51
कुल चालू परिसंपत्तियां		12.68	19.51
कुल परिसंपत्तियां		705.34	702.23
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8	150.00	150.00
(ख) अन्य इक्विटी	9	-31.36	-0.73
कुल इक्विटी		118.64	149.27
2 देयताएं			
(i) गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	10		
(i) कर्ज	10.1	516.66	525.82
(ii) व्यापार प्राप्य	10.2	-	-
- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय			
- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कल बकाया देय			
(c) आस्थगित कर देयता निवल	8	-	-
कुल गैर चालू देयताएं		516.66	525.82
(ii) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	11		
(i) कर्ज	11.1	44.93	-
(i) व्यापार प्राप्य	11.2		
- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों को देय			
- सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों से इतर को कल बकाया देय		20.83	24.94
(ii) अन्य चालू देयताएं	11.3	2.44	0.23
(ख) अन्य चालू देयताएं	12	1.83	1.97
कुल चालू देयताएं		70.03	27.14
कुल इक्विटी एवं देयताएं		705.34	702.23
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-2		
IV. वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	23-38		

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गौयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं. 081536

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017



1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रूप में करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	13	149.75	381.93
II.	अन्य आय	14	0.43	0.02
III.	कुल आय (I + II)		150.18	381.95
IV.	व्यय:			
	परियोजना व्यय	15	101.59	348.73
	कर्मचारी लाभ व्यय	16	1.15	1.35
	वित्तीय लागते	17	43.49	31.84
	मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि	18	34.40	-
	अन्य व्यय	15	0.06	0.01
	कुल व्यय (IV)		180.69	381.93
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)		-30.51	0.02
VII.	करपूर्व लाभ (V - VI)		-30.51	0.02
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	5	-	-
	- वर्ष हेतु		-	-
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		0.10	0.08
	(2) आस्थगति कर (निवल)		0.10	0.08
	कुल कर व्यय		0.10	0.08
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)		-30.61	-0.06
X	अन्य वृहत आय			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
			-	-
XI	अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)		-30.61	-0.06
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	21	-2.04	-0.00
	(2) विलयित		-2.04	-0.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट			

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कुले सीएस भटनागर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं. 081536

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

विवरण		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		-30.53	0.02
समायोजन		-	-
विदेशी प्रचालनों के अंतर्ग्रहण पर विनिमय अंतर		-	-
निर्धारित लाभ योजना के पुनर्मापन पर वास्तविकता/(हानि)		-	-
मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि		34.39	-
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ(निवल)		-	-
निवेशों की बिक्री पर लाभ		-	-
व्याज आय		(0.30)	-
लाभान्श आय		-	-
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		-	-
कार्यशली पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	3.56	0.02
समायोजन			
व्यापार प्राप्त/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में कमी / (वृद्धि)		17.01	(17.70)
दरसूची में कमी / (वृद्धि)		-	-
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(0.02)	8.61
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		(4.11)	14.24
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं व प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)		1.38	0.80
	(2)	14.26	5.95
प्रचालन से अर्जित रोकड़	(1+2)	17.82	5.97
प्रदात आयकर		-	0.02
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	17.82	5.99
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़			
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण		(44.33)	(381.86)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		-	-
निवेश परिसंपत्तियों की खरीद/बिक्री		-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण व अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण विनिमय लाभ/हानि		-	-
निवेशों की बिक्री		-	-
म्युचुअल फंड में निवेश		-	-
सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम को ऋण		-	-
सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम को ऋण का पुनर्भुगतान		-	-
प्राप्त व्याज		0.26	-
प्राप्त लाभान्श		-	-
इक्विटी शेयर में निवेश		-	-
बैंज जमा खातों में (निवेश)/परिपक्वता (तीन महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले)		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	(ख)	(44.07)	(381.86)
वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
इरकॉन से ऋण		35.77	363.17
प्रदत्त अंतिम लाभान्श (लाभान्श संवितरण कर सहित)		-	-
प्रदत्त अंतरिम लाभान्श (लाभान्श संवितरण कर सहित)		-	-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि/शुल्क का भुगतान		-	-
शेयरों के बायबैक हेतु डीआईपीएम को भुगतान		-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)	35.77	363.17
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल कम	(क+ख+ग+घ)	9.52	(12.70)
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	0.08	12.78
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)*	(घ)	9.60	0.08
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल वृद्धिकम	(घ - ड.)	9.52	(12.70)

नोट: 1. 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें दोनों बदलाव भी शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलनपत्र में प्रकटन और समापन शेष के बीच सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव देते हुए नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन को शामिल किया गया है। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

2. प्रकाश में आंकड़े रोकड़ के बाहरी प्रवाह को दर्शाते हैं।

3. जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
एकआरएन 01292 एन

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं. 081536

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

इन्विटी परिवर्तन विवरण

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2018 को इन्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए करोड में)

क. इन्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल 2017 को शेष

वर्ष के दौरान शेयरों का बायबैक

31 मार्च 2018 को
शेष

1,500,000,000

- 1,500,000,000

ख. अन्य इन्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरिक्त			अन्य वृहत आय की मदें विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडिम्यशन आरक्षित निधि		
1 अप्रैल 2017 को शेष	-	-0.67	-	-	-0.67
लेखांकन नीति एवं पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-			-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुनःबहाली	-	-0.67	-	-	-0.67
वर्ष हेतु लाभ (पुनःनिर्धारित)		-0.06			-0.06
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मीपन		-			-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर				-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	-0.06	-	-	-0.06
इन्विटी शेयरों का बायबैक				-	
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धिहेतु शुल्क का भुगतान		-			-
घटा: शेयरों के बायबैक हेतु भुगतान		-			-
प्रदत्त लाभांश		-			-
लाभांश संवितरण कर		-			-
बोनस इश्यु		-			-
31 मार्च 2018 को शेष	-	-0.73	-	-	-0.73

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं. 081536

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

इन्विटी परिवर्तन विवरण

इरफॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
सीआईएन : U45400DL2015GOI280017
31 मार्च 2019 को इन्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए करोड में)

क. इन्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल 2018 को
शेष

वर्ष के दौरान शेयरों का बायबैक 31 मार्च 2019 को शेष

150.00

- 150.00

ख. अन्य इन्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरिक्त			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडिम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2018 को शेष	-	-0.73	-	-	-0.73
लेखांकन नीति एवं पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुनःबहाली	-	-0.73	-	-	-0.73
वर्ष हेतु लाभ (पुनःनिर्धारित)	-	-30.63	-	-	-30.63
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु कुल वृहत आय	-	-30.63	-	-	-30.63
इन्विटी शेयरों का बायबैक	-	-	-	-	-
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धिहेतु शुल्क का भुगतान	-	-	-	-	-
घटा: शेयरों के बायबैक हेतु भुगतान	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
बोनस इश्यु	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	-	-31.36	-	-	-31.36

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरफॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी
सन्दी लेखाकार
एफआरएन 01292 एन

(दीपक सबलोक)
निदेशक
डीआईएन-03056457

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन-07018776

(अशोक कुमार गौयल)
निदेशक
डीआईएन-05308809

(सीए जीएस भटनागर)
भागीदार
सं. सं. 081536

(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.05.2019

1. निगमित सूचना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है। कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के किमी 236.000 से किमी 332.100 (स्टेज-1) के शिवपुरी - गुना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनांक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण नीतियां का सार

(क) तैयारी का आधार

(i) अनुपालन रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों को भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथा अधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किए हैं।

(ii) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को उचित पर कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

- i. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।

(iii) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान और निर्णय

- वित्तीय माध्यम का उचित मूल्य मापन
- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल
- निर्माण संविदाओं में राजस्व
- गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि
- आस्थगित और चालू कर का अनुमान

कंपनी निष्पादन दायित्व के पूर्ण संतुष्टि की दिशा में यथोचित रूप से प्रगति के पश्चात समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है।

राजस्व की स्वीकृति के लिए कार्यक्षेत्र, दावों (मुआवजे छूट आदि) में परिवर्तन का आकलन और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और अन्य भुगतानों को निष्पादन दायित्व के स्तर तक संतुष्ट किया जाता है और वे संभावित अंत में उचित रूप से मापा जाने में सक्षम होते हैं। दावों के लिए अनुमान लगाने के उद्देश्य से कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूप में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोड़कर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

(ख) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

- ख. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
- ग. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
- (4) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
- (5) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।
- (6) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यहास

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यहासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण मदों के चालू अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ़्लैट : आवासीय/गैर आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8-5
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10
कारवांग, कैंप और अस्थायी शेड	3-5
वाहन	8-10

पट्टे वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

1. सेवा रियायत करार से इतर अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्व:सृजित/अधिग्रहित
साफ्टवेयर	36 माह	अधिग्रहित

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।

2. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

कंपनी सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली अमूर्त संपत्ति को स्वीकार करती है जब उसे रियायत बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए प्रभारत प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। सेवा रियायत समझौते में निर्माण या उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त अमूर्त संपत्ति को प्रारंभिक

स्वीकृति पर प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात, अमूर्त संपत्ति को

लागत, कम संचित परिशोधन और संचित हानि पर मापा जाता है।

सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है जहां से कंपनी रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभार वसूल करने में सक्षम होती है।

टोल एकत्रण अधिकार को रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर अनुमानित परिवर्तन किए जाते हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

(ड.) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशोधित किया गया है तथा बकार्यो बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(च) प्रावधान

प्रावधान को उस समय स्वीकार किया जाता है जब:

- i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और
- iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(छ) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और राजस्व को सुदृढता से मापा जा सकता है।

निर्माण सेवाओं से राजस्व

कंपनी इंड एस:115 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है तथा सेवाओं का स्तरोंनयन करती है!

कंपनी द्वारा प्राप्य या प्राप्त की जाने वाली सहमति अमूर्त परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी एक अमूर्त परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है कि सार्वजनिक सेवा के प्रयोक्ता से प्रभार वसूलने का एकाधिकार एवं विशिष्ट अधिका प्राप्त हो। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रयोक्ता से प्रभार वसूलपनेका अधिकार रोकड प्राप्त करने का अशर्त अधिकार नहीं है क्योंकि यह राशि उस स्तर तक आकस्मिक है कि जनसाधानण उस सेवा का प्रयोग करेंगे।

संविदा राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुदानकर्ता को आश्वस्त सेवा स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है। कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन/संवर्धन करती है जो गारंटर के नियंत्रण में हैं। चूंकि परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन किया गया है इसलिए कंपनी समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्वोंको संतुष्ट करने पर इस नियंत्रण को अंतरित करती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की स्वीकृति तब करती है यदि यह निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि पर इसकी प्रगति को युक्तिसंगत स्तर पर मापा जा सके। हालांकि, जहां कंपनी यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को आशा है निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करने में आने वाली लागतों की वसूली के लिए कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार करेगी, जबतक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप नहीं सकती।

कंपनी इनपुट पद्धति के प्रयोग द्वारा निष्पादन दायित्व को मापती है क्योंकि यह निष्ठापूर्वक निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति इकाई के निष्पादन को दर्शाती है।

कंपनी उस लेनदेन मूल्य पर राजस्व को मापती है जो प्रदर्शन दायित्व के लिए और संविदा हेतु आवंटित किया जाता है जिसमें ग्राहक नकद के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में विचार करता है या उचित मूल्य पर विचार का आश्वासन देता है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व लागत का अनुमान या पूरा होने की दिशा में प्रगति को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणाम बढ़ या घट जाता है। इसे परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि में शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उस अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भविष्य की अवधि यदि परिवर्तन दोनों को प्रभावित करता है।

टोल वसूली से राजस्व

जब यह लेन-देन मूल्य अर्थात् उपयोगिता शुल्क के रूप में एकत्र होता है तो कंपनी टोल राजस्व को स्वीकार करती है जो तृतीय पक्षों की ओर से एकत्र की गई राशियों में से एक है।

अन्य राजस्व मान्यता

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके स्वीकार किया जाता है।

(ज) गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत अपने पुनर्प्राप्त करने योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और हानि का नुकसान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को हानिकर माना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि प्रतिकर है अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव हुआ है और ऐसे नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। हानिकर के प्रतिकर लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

(झ) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राधारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप

से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ट) कर्मचारी लाभ

(1) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(2) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं।

(ठ) पट्टा

(1) पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:—

- (i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।
- (ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।
- (iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

- (v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यहासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

- (i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता

वित्तीय पट्टा:

- (i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।
- (ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्टे के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रचालन पट्टा :

- (i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है
- (ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ड) चालू आयकर

- (i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आय का सृजन हो रहा है।
- (iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।
- (iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ण) आस्थगित कर

- (i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- (ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।
- (iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफॉवर्ड को प्रयोग किया जा सके।
- (iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।
- (v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

(त) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

(थ) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(द) क्रियात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपोर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में

मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(घ) **आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ**

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

- i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
- ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या
- iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(न) **उचित मूल्य मापन**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
 - प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।
- प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने

सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआंकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(प) इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(फ) वित्तीय माध्यम

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ii. अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

परिशोधित मूल्य पर

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एवीटीपीएलके रूप में किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पृथक नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसंपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(ब) वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

3 परिसंपत्ति संबंध और उपकरण

(रुपय करोड़ में)

फुट नोट	क्रीडोल भूमि (vi)	पट्टाधारक भूमि (v)	पट्टाधारक भवन (iv)	क्रीडोल भवनों/कैम्प- आवासों (iii)	क्रीडोल भवनों/कैम्प- में आवासीय (ii)	संबंध और मशीनरी (i)	सर्वहारा उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल इंस्ट्रूमेंट	अन्य उपकरण	फर्नीचर व फिक्स्चर (viii)	कैन्वास, कैम्प और अस्थायी शैड	वाहन	कुल
संबंध और मशीनरी (सामान्य पर)														
31 मार्च 2017 को संबंधित निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि								0.01						0.01
31 मार्च 2018 को संबंधित निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि								0.01						0.01
31 मार्च 2019 को संबंधित निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि								0.01		0.02	0.03			0.01
सम्बन्ध और मशीन														
31 मार्च 2017 को वर्ष के लिए प्रभावित मूल्यांकन हानि निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि														
31 मार्च 2018 को वर्ष के लिए प्रभावित मूल्यांकन हानि निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि	-	-	-	-	-			0.01		0.02	0.03			0.01
31 मार्च 2019 को वर्ष के लिए प्रभावित मूल्यांकन हानि निपटान/समयोजन विनिमय लागूहानि	-	-	-	-	-			0.01						0.01

निवृत्त की मूल्य

31 मार्च 2019 को	0	0	0	0				0.02		0.02	0.03			0.07
31 मार्च 2018 को	0	0	0	0				0.01						0.01
31 मार्च 2017 को	0	0	0	0				0.01						0.01

फुट नोट-

i) निवृत्त की मूल्य पर अन्य वास्तु परिसंपत्तियों के विक्रो/समयोजन कौशल और अंतरण के लिए धारित नियत परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का ब्यौटा	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की तिथि व संभावित समय	मैत्र वास्तु परिसंपत्तियों से संभावित हानि/लाभ	सेपरेट	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
					सकल ब्यौटा	निवृत्त ब्यौटा	सकल ब्यौटा	निवृत्त ब्यौटा	सकल ब्यौटा	निवृत्त ब्यौटा
कुल					-	-	-	-	-	-

ii) लागू और हानि विवरण में नामे किए गए वर्ष हेतु परिसंपत्तियों, संबंध और उपकरण का मूल्यांकन और हानि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मृत परिसंपत्तियों पर मूल्यांकन प्रतिफल हानि	0.02	
कुल	0.02	

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	(रूपए करोड में)	(रूपए करोड में)	(रूपए करोड में)
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त परिसंपत्तियां (टोल एकत्रण)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)
31 मार्च 2017 को समापन शेष	300.68		-
वर्ष के दौरान संवर्धन	381.85		-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-		-
31 मार्च 2018 को समापन शेष	683	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	44.25	726.78	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	726.78	-	-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	-	726.78	-
परिशोधन एवं हानि			
31 मार्च 2017 को समापन शेष	-		-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को समापन शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	34.38	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	-	34.38	-
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2019 को	-	692.40	-
31 मार्च 2018 को	682.53	-	-

नोट: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति में संवर्धन में 96,75,926/- रुपये शामिल हैं, जो कि कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन के लिए एनएचएआई द्वारा कटौती की गई राशि के कारण है।

वित्तीय परिसंपत्तियां (गेर चालू)

4.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क) वसूली योग्य		
प्रतिभति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	0.11	0.01
कल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.11	0.01
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.11	0.01

5 आस्थगित कर परिसंपतियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रावधान	-	-
परिसंपति संयंत्र उपकरण और अमूर्त परिसंपतियां	-	-
अन्य	0.07	0.17
31 मार्च को समापन शेष	0.07	0.17

आस्थगित कर देयता/(परिसंपति) में संचलन

विवरण	प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	पीपीई व अमूर्त परिसंपतियां	अन्य
31 मार्च 2017 को	-	-	-	-	0.25
प्रभारित/(नामे)					
लाभ एवं हानि में			-	-	(0.08)
अन्य वृद्धत आय में	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	-	-	-	-	0.17
प्रभारित/(नामे)					
लाभ एवं हानि में		-	-	-	(0.10)
अन्य वृद्धत आय में	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-	-	-	0.07

आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

आयकर व्यय

लाभ एवं हानि खंड

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
चालू आयकर:		
चालू आयकर प्रभार	-	-
समायोजन: पूर्ववर्ती वर्ष के चालू आयकर के संबंध में आस्थगित कर:	-	-
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	0.10	0.08
लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	0.10	0.08

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई के स्वीकृत आयकर संबंधी मदें

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
निर्धारित लाभ योजनाओं के मापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
विनिमय लाभ/हानि पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
ओसीआई में प्रभारित आयकर	-	-

31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू आयकर द्वारा गुणक कर व्य तथा लेखांकन लाभ का समायोजन :

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
निरंतर प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	(30.53)	0.02
निरंतर प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	-30.53	0.02
26 प्रतिशत की भारतीय सांविधि आयकर दर (31 मार्च 2018: 30.90%)	-	0.01
पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.10	0.08
पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का प्रयोग	-	-
गैर करयोग्य मदें	-	-
दर अंतर	-	-
अन्य	-	-
कर प्रयोजन हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय	-	-
अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	-	-
अन्य गैर कटौती योग्य कर	-	-
26 प्रतिशत की भारतीय सांविधि आयकर दर (31 मार्च 2019: 31.20%)	0.10	0.09
आय एवं व्यय विवरण में स्वीकृत आयकर व्यय	0.10	0.08
बंद प्रचालनों से आयकर	-	-
	0.10	0.08

वित्तीय परिसंपत्तियां

6.1 व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अरक्षित वसूली योग व्यापार प्राप्य * (संदर्भ नोट सं. 30)	0.70	17.70
ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि व्यापार प्राप्य	-	-
ऋण हानि व्यापार प्राप्य	-	-
घटा-संदिग्ध कर्ज हेतु हानि प्रावधान	-	-
कुल	0.70	17.70

6.2 वित्तीय परिसंपत्तियां
रोकड और रोकड समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
उपलब्ध रोकड		-	-
उपलब्ध चेक/ड्राफ्ट		-	-
पारगमन में प्रेषण		-	-
बैंकों में शेष			
चालू खाता		0.01	0.02
फ्लैक्सी खाता	(i)	6.10	-
तीन महीने से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि	(i) & (iii)	3.49	0.06
		9.60	0.08

रोकड एवं रोकड समतुल्य से इतर शेष

(रूपए करोड में)

विवरण		31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
अन्य बैंक शेष			
तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि	(i)	-	-
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा खाते	(ii)	-	-
		-	-

वित्तीय परिसंपत्तियां

6.3 ऋण

(रूपए करोड में)		
विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क. वसूली योग्य रक्षित		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कुल (क) - रक्षित ऋण	-	-
ख. अरक्षित, वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम*	-	-
कुल (ख) - वसूली योग्य: अरक्षित (i) + (ii)	-	-
ग. ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि		
1. संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम:		
अन्य:		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कुल (ग) - ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि	-	-
घ. ऋण हानि		
सकल योग	-	-

6.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)		
विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
क) वसूली योग्य		
संचित ब्याज:		
बैंक में जमा राशियां	0.03	-
अन्य:		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - साध्य	0.03	-
ग) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
सरकारी विभाग	-	-
अन्य	-	-
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-
बयाना जमा राशि	-	-
ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	-	-
ग्राहकों से आहरित राशि	-	-
अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्य) हेतु हानि प्रावधान	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	0.03	-

कंपनी, फर्मों के अधिकारियों को देय ऋण, जिसमें कोई भी निदेशक एक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई भी निदेशक सदस्य है जेवी और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य रूपए (शून्य रूपए)।

(रूपए करोड में)		
निदेशकों से देय राशि का विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल		

7. गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम			
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		-	-
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ताओं व अन्यो को अग्रिम		-	-
वसूली योग्य अग्रिम			
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		-	-
- घटा विरोध के कारण जमा		-	-
- मूल्य संवर्धन कर		0.43	0.43
- वस्तु एवं सेवा कर		-	0.03
- सेवाकर इनपुट ऋण		-	-
कुल - पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		0.43	0.46
ख) अन्य			
संचित ब्याज			
जमा राशि व अग्रिम :			
- ठेकेदार आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		-	-
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	(i)	-	-
पूर्व प्रदत्त व्यय		-	0.06
उचित मूल्य समायोजन		-	-
पट्टासमता		-	-
कुल - अन्य		-	0.06
ख) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ता एवं अन्यो को अग्रिम		-	-
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		-	-
अन्य		-	-
मूल्य संवर्धन कर		-	-
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि प्रावधान		-	-
कुल - संदिग्ध समझे गए		-	-
सकल योग		0.43	0.52

7.1 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)		1.91	1.22
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		1.91	1.22

8 इन्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,00,00,000 इन्विटी शेयर प्रति 10 रुपए	150.00	150.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी 15,00,00,000 इन्विटी शेयर प्रति 10 रुपए	150.00	150.00

कंपनी में शेयरधारित का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकोन)	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	15,000,000	100.00
	-	-	-	-	-	-
कुल	150,000,000	100	150,000,000	100	15,000,000	100

रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी इन्विटी शेयर नकदी से इतर खरीदे गए शेयर और बाय बैक किए गए शेयरों की समय संख्या

	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड से इतर आवंटित इन्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इन्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-	-
इन्विटी शेयर बाय बैक	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-

इन्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार
(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रुपए मूल्य के इन्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेतु पत्र है।
(ख) दिवालियापन

कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में, इन्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमाम्य मात्रा के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इन्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

इन्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018		31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए	शेयरों की संख्या	रुपए
अवधि के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इन्विटी पूंजी	-	-	-	-	150,000,000	-
जमा: अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	-	-	-	-	-	-
अवधि के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इन्विटी पूंजी	-	-	-	-	150,000,000	150.00

9 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	-0.73	-0.67
जमा: लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	-30.61	-0.06
समापन शेष	-31.34	-0.73
() सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
समापन शेष	-	-
(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमा: इक्विटी शेयरों के बायबैक हेतु अंतरण	-	-
समापन शेष	-	-
(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	-	-
सकल योग	-31.34	-0.73

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

कंपनी के अवितरित लाभों को प्रस्तुत करती प्रतिधारित आमदनियां

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को प्रदर्शित करता है।

किया गया या प्रस्तावित लाभांश संवितरण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
घोषित/प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर रोकड लाभांश		
2018-19 के दौरान प्रदत्त लाभांश शून्य (वित्तीय वर्ष 2017-18: शून्य)	-	-
लाभांश वितरण कर अंतिम लाभांश	-	-
2018-19 के दौरान अंतरित लाभांश शून्य (वित्तीय वर्ष 2017-18: शून्य)	-	-
अंतरित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
कुल	-	-
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश		
2018-19 के दौरान लाभांश शून्य (वित्तीय वर्ष 2017-18: शून्य)	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
कुल	-	-

10 वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

10.1 ऋण

विवरण	(रूपए करोड में)	
	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण	516.66	525.82
कुल	516.66	525.82

नोट:

*** ऋण की शर्तें एवं निबंधन**

i) कंपनी ने कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपनी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड रूपए का एक सावधि ऋण प्राप्त किया है, जिसमें से 31 मार्च 2019 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 561.59 करोड का वितरण किया गया है।

ii) ब्याज की शर्तें

लागू ब्याज दर एसबीआई के आधार दर जमा 0.5% है।

iii) पुनर्भुगतान की शर्तें

सावधि ऋण, निर्धारित त्रैमासिक किशतों में सीओडी से 12 महीने की समाप्ति से आरंभ होने वाले 12.5 वर्षों में चुकाया जाएगा।

iv) ऋण के लिए सुरक्षा की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता बंधक/प्रभार और वर्तमान और भविष्य दोनों में चल संपत्तियों (जिनमें सभी मौजूदा / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं हैं) तक सीमित हैं।

(ii) सभी शुल्क पर पहली प्राथमिकता शुल्क, उधारकर्ता के राजस्व और प्राप्य परियोजना संपत्ति या अन्यथा।

(iii) सभी परियोजना समझौतों के एसाइनमेंट पर पहली प्राथमिकता शुल्क। सभी गारंटी, निष्पायदन गुणवत्ता या बांड, ऋण पत्र जो किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी परियोजना समझौते को उधारकर्ता और मंजूरी के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है और सभी अधिकार शीर्षक, अनुमोदन, परमिट, मंजूरी और ब्याज और उधारकर्ता अधिकार, शीर्षक, ब्याज प्रॉजेक्ट एग्रीमेंट और क्लीयरेंस के तहत या इसके अंतर्गत लाभ और दावा के अंतर्गत होंगे।

(iv) बीमा अनुबंधों, बीमा पॉलिसियों और बीमा आय के तहत या इसके अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक ब्याज, लाभ और उधारकर्ता के दावे पर एसाइनमेंट का पहला प्राथमिकता शुल्क।

(v) साख सहित किन्तु इस तक सीमित नहीं, सहित उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों की पहली प्राथमिकता / प्रभार / एसाइनमेंट, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित।

(vi) सीमा के बिना उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहली प्राथमिकता शुल्क, एस्करो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) और उसमें समय-समय पर जमा किए गए सभी निधियां और सभी अनुमत निवेशों या अन्य प्रतिभूतियों में एस्करो खाते में सभी क्रेडिट जमा किए गए हैं बशर्ते उपरोक्त (i) से (v) परियोजनाओं संपत्तियों को बाहर हों।

10.2 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट. 45)	-	-
अन्य		
अन्य ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	-	-
(ख) संबंधितपक्ष	-	-
कुल	-	-

11 वित्तीय देयताएं (चालू)

11.1 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
इरकाँन से ऋण - चालू	44.93	-
कुल	44.93	-

11.2 व्यापार देय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम	-	-
अन्य		
(क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	1.86	-
(ख) संबंधित पक्ष	18.97	24.94
कुल	20.83	24.94

वित्तीय देयताएं (चालू)

11.3 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
उपदान	-	-
जमा राशि, प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	0.83	0.12
वित्तीय गारंटी संविदा	-	-
ग्राहकों को देय राशि	1.51	-
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	-	-
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	0.10	0.12
कुल	2.44	0.24

12 अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
सांविधिक देय	1.83	1.98
कुल	1.83	1.98

13 प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
निर्माण संविदा राजस्व	32.50	-
टोल प्रचालन से राजस्व	72.88	-
अन्य प्रचालनिक राजस्व	44.36	381.93
कुल	149.74	381.93

14 अन्य आय

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:		
आयकर वापसी पर ब्याज	-	-
बैंक ब्याज सकल	0.30	-
घटा: ग्राहकों को अंतरित ब्याज	-	-
अन्य:		
विविध आय	0.13	0.02
घटा: विनिमय उच्चावचन घटा	-	-
घटा: ग्राहकों को अंतरित लाभांश	-	-
कुल	0.43	0.02

विवरण	फुटनोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		93.68	346.89	-	-
टोल एकत्रण और अनुरक्षण व्यय		6.56	-	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय		0.26	1.46	-	-
मशीनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण		-	-	-	-
मशीनों का किरायाप्रभार		-	0.10	-	-
विनिमय उच्चावचन घाटा		-	-	-	-
घटा:- विनिमय उच्चावचन लाभ		-	-	-	-
निवलविनिमय उच्चावचन घाटा		-	-	-	-
किराया - गैर आवासीय		0.04	0.04	-	-
दरें एवं कर		0.33	-	-	-
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण		0.03	-	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		-	-	-	-
भवन		-	-	-	-
कार्यालय एवं अन्य		0.01	-	-	-
ऊर्जा, बिजली एवं पानी प्रभार		0.51	-	-	-
बीमा		0.08	0.19	-	-
यात्रा एवं कन्वेंयंस		0.02	-	-	-
मृदण एवं स्टेशनरी		0.01	-	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स		-	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		0.07	0.03	-	-
प्रतिभूति सेवाएं		-	-	-	-
व्यवसाय संवर्धन		-	-	-	-
बट्टाखाता:		-	-	-	-
अशोध्य ऋण		-	-	-	-
अशोध्य अग्रिम		-	-	-	-
अशोध्य परिसंपत्तियां		-	-	-	-
परिसंपत्तियां/भंडारण की बिक्री पर घाटा		-	-	-	-
निवेश में प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-	-	-	-
निदेशक बैठक शुल्क		-	-	-	-
चंदा		-	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i)	-	-	0.01	0.01
विज्ञापन और प्रचार		-	-	0.05	-
प्रशिक्षण एवं भर्ती		-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-	-	-	-
धारणीय विकास		-	-	-	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-	-	-
विविध व्यय		-	-	-	-
निगमित शिरोपरि व्यय		-	-	-	-
प्रावधान (जमा - बट्टाखाता)		-	-	-	-
प्रयुक्त प्रावधान		-	-	-	-
कुल		101.60	348.71	0.06	0.01

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.01	0.01
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	-
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	-	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-
(च) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	0.01	0.01

16 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(रूपए करोड में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस	(i)	0.77	0.20	0.97	1.35	-	1.35
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान		0.11	-	0.11	-	-	-
विदेशी सेवा अंशदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		0.08	-	0.08	-	-	-
स्टाफ कल्याण		-	-	-	-	-	-
कुल		0.96	0.20	1.16	1.35	-	1.35

17 वित्तीय लागत

(रूपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	43.46	31.80
घटा: अग्रिम पर ब्याज		-	31.80
अन्य ऋण लागत		43.46	-
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार		0.03	0.04
कुल		43.49	31.84

18 मूल्यहास परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.02	-
अमूर्त परिसंपत्तियां	34.38	-
निवेश परिसंपत्तियां	-	-
परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल	34.40	-

नोट - 19

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2019 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश				
कुल	-	-	-	-
परिशाोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	0.70	-	-	-
(iii) व्यापार प्राप्य	9.61	-	-	-
(iv) रोकड एवं रोकड समुल्य	0.14	-	-	-
(v) अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
(vi) अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***	-	-	-	-
कुल	10.45	-	-	-

(in Rs. crore)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशाोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	561.59	-	-	-
(ii) व्यापार देय	2.44	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं ***	-	-	-	-
कुल	564.03	-	-	-

ख) दिनांक 31 मार्च 2018 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)	-	-	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश				
कुल	-	-	-	-
परिशाोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
i. निवेश	-	-	-	-
ii. ऋण	17.7	-	-	-
iii. व्यापार प्राप्य	0	-	-	-
iv. रोकड एवं रोकड समुल्य	0.08	-	-	-
v. अन्य बैंक शेष	0.01	-	-	-
vi. अन्य बैंक परिसंपत्तियां ***	-	-	-	-
कुल	17.79	-	-	-

(in Rs. crore)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशाोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
i. ऋण	525.82	-	-	-
ii. व्यापार देय	0.23	-	-	-
iii. अन्य वित्तीय देयताएं ***	-	-	-	-
कुल	526.05	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां और मान्यताएं वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रयुक्त विधि के समान हैं। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियां और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयों जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय वित्तीय में निर्धारित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित सामन्जस्य के पश्चात निर्धारित है, कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती हैं।

* वित्त वर्ष 2018-19 और 2017-18 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

*** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों में कुछ वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं, जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन नहीं करती है और विदेशी विनिमय जोखिम शून्य या नगण्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

निम्न तालिका निर्माण राजस्व, एससीए और टोल प्राप्तियों के तहत निर्माण के शीर्ष तीन राजस्व खंडों से उत्पन्न राजस्व के संबंध में विवरण प्रस्तुत करती है::

(रूप करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31/03/2019	31/03/2018
शीर्ष तीन राजस्व क्षेत्रों से राजस्व	149.74	381.93
Exposure to Credit Risk	149.74	381.93

(रूप करोड़ में)

विवरण	31/03/2019	31/03/2018
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियां (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.11	0.01
चालू निवेश	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	9.61	0.08
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	-	-
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.03	-
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	0.70	17.70

संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार		
विवरण	31/03/2019	31/03/2018
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी ने xx रुपये (31 मार्च, 2018: रुपये) की हानि को स्वीकार किया है के नुकसान भते को मान्यता दी है।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2019	31/03/2018
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूप की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ख) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर विरुद्ध प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपे करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार प्राप्त	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2.44	-	-
विवरण	As on 31 March, 2018		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार प्राप्त	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	0.23	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियां, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियां में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने परियोजना के वित्तपोषण हेतु धारक कंपनी से 357,700,000/- रूपे का सावधि ऋण प्राप्त किया है (वि.व 2018-19 को 5,615,900,000 रूपे) कर्ज इक्विटी अनुपात :- (रूपे करोड़ में)

विवरण	31-Mar-19	31-Mar-18
ऋण (नोट सं 10.1 व 11.1)	516.66	525.82
दीर्घकालीन ऋण	516.66	525.82
इक्विटी (नोट सं. 8)	150.00	150.00
अन्य इक्विटी (नोट सं. 9)	-31.36	-0.73
कुल इक्विटी	118.64	149.27
ऋण इक्विटी अनुपात	4.35	3.52

20. वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा

(रूपे करोड में)

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूपे में)		बकाया राशि	
		31-03-2019 तक की अवधि के दौरान	2017-18 (31 मार्च 2018 तक)	31-03-2019 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2018 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	-	-	-	-
	ऋण	35.77	363.17	561.59	525.82
	अन्य देय	-5.97		18.97	24.94
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य सविदा* व्यय के रूप में जीएसटी को छोड़कर	16.59			
	कार्य सविदा* एसटी पूंजीकरण को छोड़कर	27.53	343.83		
	व्यय के रूप में जीएसटी को छोड़कर किराया	0.01			
	जीएसटी पूंजीकरण को छोड़कर किराया	0.01	0.02		
	व्यय के रूप में ऋण पर ब्याज	43.46			
	ऋण पूंजीकरण पर ब्याज	9.14	31.8		

21. प्रति शेयर आमदनियां (ईपीएस)

विवरण	(आंकडे करोड में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मूल ईपीएस	-2.041	(0.00)
विलयित ईपीएस	-2.041	(0.00)

मूल ईपीएस

विवरण	(आंकडे करोड में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ:		
निरंतर प्रचालन	-30.61	(0.06)
बंद प्रचालन	-	-
मूल प्रति शेयर आमदनी के लिए इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ	-30.61	(0.06)
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर ब्याज	-	-
विलयन के प्रभाव के समायोजन हेतु इक्विटी शेयरधारकों को लाभ	-30.61	(0.06)

विलयित ईपीएस

विवरण	(आंकडे करोड में)	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या*	15.00	15
विलयन का प्रभाव		
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयर	-	-
विलयन के प्रभाव के समायोजन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	15	15

प्रति शेयर विलयित आमदनियों के प्रयोजन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटिड संख्याओं को प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या से समायोजन किया गया है।

नोट 22: सेवा रियायत व्यवस्थाएं (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को इड एस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के "परिशिष्ट "ग"-ससेवा नियायत व्यवस्थाओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। यह एससीए परिशिष्ट के कार्यक्षेत्रके अंतर्गता आता है क्योंकि नीचे दी गई दोनों शर्तों को पूरा किया जा रहा है:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण

पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इस्कॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एस-115 के अनुसार राजस्व और लागत को स्वीकार करती है। कंपनी संविदा राजस्व को प्राप्त के उचित मूल्य पर स्वीकार करती है। व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान, कंपनी की 726.78 करोड़ की संपत्ति (निर्माण सेवाओं को प्रदान करने हेतु उसके संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए) को अमूर्त संपत्ति (उपयोगकर्ता को प्रभारित करने का लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने 31.8.19 को समाप्त वर्ष के लिए सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर 149.84 करोड़ रुपये जिसमें 44.36 करोड़ रुपये शामिल हैं, के राजस्व को स्वीकार किया है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वीकृत राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड का प्रचालन दिनांक 07 जून 2018 से शुरू हो गया है और कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 72.88 करोड़ रुपये के राजस्व के रूप में उपयोग शुल्क को स्वीकार किया है। ।

रियायत शुल्क और उसके प्रीमियम को राजस्व अर्जित किए जाने हेतु भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे राजस्व के प्रति प्रभार के रूप में माना जाता है। रियायत समझौते के अनुसार यातायात पूंजी अतिरिक्त एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। यह सीएसए पुनर्विनियोजन के कारण है।

निर्माण संविदा

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एस-11 : निर्माण संविदाओं में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)		
विवरण	31 मार्च 18	31 मार्च 17
निर्माण सेवाओंसे स्वीकृत राजस्व	76.87	381.93
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	72.88	-
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	76.87	381.93
	17.70	
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि		-

23. आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयताएं:

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है: शून्य

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां : शून्य

24. प्रतिबद्धताएं:

क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों का निवल) **112.12 करोड रूपए (40.80 करोड रूपए)।**

25. (क) लाभ और हानि खाते में स्वीकृत विदेशी विनिमय

विवरण	2018-19	2017-18
i) लाभ या हानि	शून्य	शून्य
ii) अन्य वृहत आय	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

ख) अनहैजड विदेशी मुद्रा प्रकटन : शून्य।

26. पट्टों के संबंध में प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टों पर ली गई परिसंपत्तियां : शून्य

II. प्रचालनिक पट्टों पर दी गई परिसंपत्तियां : शून्य

27. खंड रिपोर्टिंग:

क. सामान्य जानकारी:

(i) कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट योग्य प्रचालन सेगमेंट निर्धारित किए हैं।

(ii) कंपनी के जोखिम और प्रतिफल के स्रोत विश्वभर में फैली इकाइयों से प्राप्त होते हैं और इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और घरेलू परियोजनाओं के व्यक्तिगत प्रचालनिक सेगमेंट हैं।

(iii) प्रचालनिक सेगमेंट को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप निर्धारित किया गया है।

(iv) इन प्रचालन खंडों की निगरानी कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा की जाती है और नीतिगत निर्णय खंड परिणामों के आधार पर किए जाते हैं। सेगमेंट निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक सेगमेंट के लाभ के आधार पर किया जाता है।

ख. रिपोर्ट योग्य खंडों और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के बारे में जानकारी:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व			149.74	381.93	149.74	381.93
जमा: एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवन में कंपनी का भाग						
ब्याज आय			0.30	0.00	0.30	0.00
कुल आय			0.13	0.02	0.13	0.02

अंतर-सेगमेंट						
कुल राजस्व			150.18	381.95	150.19	381.95
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान,मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादित मदों और कर पूर्व लाभ			47.38	31.86	47.38	31.86
घटा: प्रावधान औ रबट्टा खाता (निवल)			0	0	0	0
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि			34.40	0.00	34.40	0.00
ब्याज			43.49	31.84	43.49	31.84
आपवादिक मदें			0	0	0	0
कर पूर्व लाभ			(30.51)	0.02	(30.51)	0.02
कर व्यय			0.10	0.08	0.10	0.08
कर पश्चात लाभ			(30.61)	(0.06)	(30.61)	(0.06)

क. अन्य सूचना

(रूपए करोड में)

	अतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
परिसंपत्तियां			705.34	702.23	705.34	702.23
देयताएं			586.70	552.96	586.70	552.96
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश			0	0	0	0

वित्तीय प्रलेखों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर चालू परिसंपत्तियां			0.11	682.53	0.11	682.53
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त)			692.48	0.02	692.48	0.02

घ. प्रमुख ग्राहकों से सूचना

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान, घरेलू सेगमेंट में प्राप्त लगभग 100% (शून्य) का प्रचालनिक राजस्व एकल बाहरी ग्राहक से है।

28. अन्य निकायों में हित : शून्य

29. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एस के अनुसार चिह्नित संबंधित पक्ष

क) उद्यम जहां नियंत्रण मौजूद है: शून्य आईएसजीटीएल की 100% धारिता इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

(i) धारक कंपनी: -

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

ख) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों:

सीईओ: श्री मसूद अहमद नज़ार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिनांक 21 जुलाई 2016 से।

सीएफओ: श्री संजीव कुमार गुप्ता को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में धारक कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है, और 4 जनवरी 2019 को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में घोषित किया गया था जिन्होंने श्री अतुल कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी, दिनांक 21 दिसंबर 2018 पदमुक्त हुए के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया।

कंपनी सचिव: - सुश्री साक्षी मेहता दिनांक 29 मई 2017 से।

ग) संबंधित पक्षों संव्यवहार का प्रकटन:

(रूपए करोड में)

विवरण	संव्यवहार का वर्ष		संविदाओं/व्यवस्थाओं का ब्यौरा
	2018-19	2017-18	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (उपर्युक्त-ख) और अन्य निदेशकों का बैठक शुल्क	शून्य		
2. वस्तुओं/सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्यय सहित)/पीपीई का पट्टा/कोई अन्य संव्यवहार			
धारक कंपनी			
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	44.12	343.82	कार्य व्यय
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	0.02	0.02	किराया
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	52.60	31.80	ऋण पर ब्याज
कुल	96.74	378.69	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/ कोई अन्य संव्यवहार			
धारक कंपनी (सहित)			
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	0	0	
कुल	0	0	

4. धारक कंपनी से ऋण			
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड - संवितरित	35.77	363.17	ऋण संवितरित
5. प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों (आय) की प्रतिपूर्ति	0	0	

संबंधित पक्षों को/से देय राशि का प्रकटन

(रूपए करोड में)

विवरण	राशि	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्राप्य राशियां		
(1) सहायक कंपनियों और जेवी से बकाया ऋण**	0	0
(2) अन्य सेवाओं प्रतिपूर्तियों आदि हेतु		
धारक कंपनी		
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड (मोबिलाइजेशन अग्रिम)	0	0
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड मोबिनाइजेशन अग्रिम- संचित ब्याज किन्त अभी अदेय)	0	0
देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	18.97	24.94
2) बकाया ऋण		
इरकॉन इंटरनशनल लिमिटेड	561.59	525.82

** संचित ब्याज सहित

30.निदेशकों*/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का ब्यौरा:

(रूपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	2018-19	2017-18
I	वेतन एं भत्ते*	0.39	0.51
II	भविष्य निधि, पेशन में अंशदान	0.05	0.04
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	.002	0.00
IV	बैठक शुल्क	0.00	0.00
V	अन्य लाभ	0.16	0.04
	कुल		

* इरकॉन एसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पांच अंशकालिक निदेशक थे, जो कि धारक कंपनी द्वारा बोर्ड पर नामित थे, इन्होंने कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

31. कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित "परिसंपत्तियों की हानि" अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह टोल प्रचालन का पहले वर्ष है। तदनुसार, किसी क्षतिपूर्ति हानि के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

32. कर्मचारी लाभों पर इंड एस - 19 के अंतर्गत प्रकटन

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल पर हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, अवकाश नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन/डेबिट इसकी होल्डिंग कंपनी से लिया जाता है। इंड एस - 19 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इसकी धारक कंपनी द्वारा अपनी लेखा नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और पेंशन योगदान को नियमित रूप से पीएफ ट्रस्ट के साथ धारक कंपनी द्वारा जमा किया गया है।

33. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एस -115 के अंतर्गत प्रकटन *

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	रेलवे	राजमार्ग	इलैक्ट्रिकल	भवन	अन्य	कुल
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	76.86	-	-	-	76.86
समय बिंदु पर	-	72.88	-	-	-	72.88
कुल	-	149.74	-	-	-	149.74
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	149.74	-	-	-	149.74
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	149.74	-	-	-	149.74
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	149.74	-	-	-	149.74
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	149.74	-	-	-	149.74

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	रेलवे	राजमार्ग	इलैक्ट्रिकल	भवन	अन्य	कुल
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	245.67	-	-	-	-
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	-	245.67	-	-	-	-
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	381.93	-	-	-	381.93
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	381.93	-	-	-	381.93
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	381.93	-	-	-	381.93
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	381.93	-	-	-	381.93

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 149.74 करोड रूपए (381.93 करोड रूपए है)।

(ख) कंपनी ने इंड एस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए हजार में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
व्यापार प्राप्य (नोट 6.1)	0.07	17.70
संविदा परिसंपत्तियां	0	0
संविदा दायित्व	0	0

- (i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल (एनएचएआई) है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में उपयोगिता शिफ्टिंग प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान क्रेडिट अवधि के साथ, यदि कोई हो, तो काम के दायरे में परिवर्तन और 60 से 180 दिनों तक या जब काम प्रमाणित हो जाता है सहमति होती है। कंपनी द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना बीओटी (बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर) मॉडल के तहत है और भुगतान टोल एकत्रण और एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्यों के लिए किया जाता है।
- (ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात् भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य

- (iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

- (i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त	शून्य	शून्य

राशि		
ग्राहकों से देय राशि	शून्य	शून्य

(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	शून्य	शून्य

*इंड एस-15 में अंतरण प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 को असंतुष्ट निष्पादन दायित्व आंशिक के अंतरण आवंटित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है।

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को असंतुष्ट संविदा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए करोड में)

		31 मार्च, 2019**
एक वर्ष या कम		शून्य
एक वर्ष से दो वर्ष तक		
दो वर्ष से अधिक		
कुल		

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमित है।

34. कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत शामिल किए गए अपने आपूर्तिकर्ताओं से जानकारी मिली है, जैसा कि नोट सं. 18.1 में दर्शाया गया है। इस जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2019 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि शून्य रूपए (शून्य रूपए) है।
35. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च किए जाने हेतु अपेक्षित सकल राशि शून्य है।
36. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान होने वाली घटनाएं शून्य हैं।
37. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जारी मानक जारी किन्तु प्रभावी नहीं हैं

इंड एस-116 पट्टे

38. कतिपय पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षको आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 01292एन

ह/-

(सीए जी एस भटनागर)

साझेदार

सं.सं: 081536

ह/-

(दीपक सबलोक)

निदेशक

डीआईएन: 03056457

ह/-

(आनन्द कुमार सिंह)

निदेशक

डीआईएन: 07018776

ह/-

(अशोक कुमार गोयल)

निदेशक

डीआईएन: 05308809

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.05.2019

ह/-
(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक
अधिकारी

ह/-
(संजीव कुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(साक्षी मेहता)
कंपनी सचिव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
वित्तीय वर्ष 2018-19

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 02 मई 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों पर पहुंच प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांचों, कंपनी के कार्मिकों और लेखांकन रिकार्डों के कुछ चुनिंदा जांचों तक ही सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यानार्थ आए हैं और जो मेरी दृष्टि से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आवश्यक हैं।

	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	<p>तुलन पत्र</p> <p>नोट 4 - अमूर्त संपत्तियां - 692.41 करोड़ रूपए</p> <p>टोल रोड का निर्माण कार्य पूरा किया गया था और इसके प्रचालन दिनांक 7 जून 2018 को आरंभ हुआ। वर्ष के दौरान कंपनी ने 79.25 करोड़ रूपए के व्यय की तुलना में 72.88 करोड़ रूपए का टोल एकत्र किया है। इस प्रकार वर्ष के दौरान टोल प्रचालन से कंपनी को घाटा हुआ है। तदनुसार, कंपनी को इंड एस-36 के अनुसार तथा अपनी स्वयं की लेखांकन नीतियों के अनुसार भी हानि परीक्षण कराने की आवश्यकता थी। हालाँकि, कंपनी ने आवश्यकतानुसार हानि परीक्षण नहीं किया था।</p>	<p>संपत्ति की हानि के इंड एस पैरा-2 (ख) के अनुसार संदर्भित लेखांकन मानक निर्माण संविदा से उत्पन्न परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होता है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, यह टोल प्रचालन का पहला वर्ष है और टोल रोड परियोजनाओं के मामले में शुरुआती प्रचालनिक हानि आम है।</p> <p>उपरोक्त दो पैरों के मद्देनजर, कंपनी द्वारा हानि परीक्षण नहीं किया गया था।</p> <p>हालांकि, सीएजी टिप्पणियों के आधार पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में नीति की समीक्षा की जाएगी।</p>
2	<p>रोकड प्रवाह पर टिप्पणियाँ</p> <p>नकदी प्रवाह विवरण</p> <p>निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह</p> <p>ब्याज भुगतान - 52.60 करोड़ रूपए</p> <p>(i) कंपनी ने इंड एस- 7 के उल्लंघन में</p>	<p>नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटन को पिछले वित्तीय वर्ष का प्रस्तुतीकरण के अनुसार दर्शाया गया है और प्रदत्त ब्याज के संबंध</p>

	<p>वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत अपनी धारक कंपनी को 52.60 करोड़ रुपए का ब्याज दिया है।</p> <p>(ii) टोल रोड के निर्माण पर वर्ष के दौरान किए गए 44.33 करोड़ रुपए की राशि को गलत तरीके से सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में दर्शाया गया है जबकि इसे निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद /निर्माण में दर्शाया जाना चाहिए था।</p>	<p>में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया गया है। इसे नकदी प्रवाह में प्रचालन गतिविधियों का हिस्सा माना गया है।</p> <p>हालांकि, इस तथ्य को नोट कर लिया गया है और भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>टोल रोड के निर्माण के लिए 44.33 करोड़ रुपये की राशि को अनजाने में "पीपीई / सीडब्ल्यूआईपी" के तहत दर्शाया गया है। हालांकि, इसे निवेश गतिविधियों के प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत सही रूप में भी दर्शाया गया है।</p> <p>लेखापरीक्षा द्वारा प्रकटीकरण का अवलोकन वित्तीय वर्ष 2019-20 से किया जाएगा।</p>
3	<p>वित्तीय विवरणों के नोट</p> <p>नोट सं. 24 - प्रतिबद्धताएं</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित रियायत करार के खंड 26.2.1 के अनुसार, कंपनी को एनएचएआई को प्रीमियम के रूप में 5% वार्षिक वृद्धि के साथ 20.19 करोड़ रुपये सालाना देने की आवश्यकता है। लेकिन कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक नोट सं.24 के तहत अपनी प्रतिबद्धता</p>	<p>इंगित तथ्य सही है। हालांकि, इसका प्रकटन नहीं किया गया है। इसका उल्लेख नोट 22 के तहत सेवा रियायत समझौते में किया गया है: -</p> <p><i>"रियायत शुल्क और उसके प्रीमियम को राजस्व अर्जित करने के लिए भुगतान के रूप में देखा जाता है और इसे राजस्व के प्रति प्रभार के रूप में माना जाता है। रियायत समझौते के अनुसार ट्रेफिक पूंजी</i></p>

<p>के रूप में उस प्रकार से प्रकटन नहीं किया है। इस प्रकार, इस प्रतिबद्धता को 532.38 करोड़ रूपए कम दर्शाया गया था।</p>	<p>के अतिरिक्त एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है।"</p> <p>हालांकि, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है और भविष्य में अलग से इसका प्रकटन किया जाएगा।</p>
---	---

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड

ह/-
(बी आर मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेलवे वाणिज्यिक,
नई दिल्ली

ह/-
(दीपक सबलोक)
अध्यक्ष
डीआईएन: 3056457

ह/-
(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 007018776

ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
निदेशक
डीआईएन:0530880

ह/-
(मसूद अहमद नजर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(संजीव गुमार गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी